



राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 05/बीकानेर/ 1994-95

यह प्रमाणित किया जाता है कि उरमूल सीमान्त
समिति, बज्जू जिला बीकानेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक चार माह पाँच सन् एक हजार नौ सौ चौरानवे
बीकानेर में दिया गया।

111

रजिस्ट्रार संस्था
बीकानेर